राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ/2012–13/-13 दिनांक : 15-4-2013

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 को कार्यालय आदेश कमांक वित्त प्रकोष्ठ/2012–13/578 दिनांक 28.03.13 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किया गया है। पूर्व में जारी किये गये आदेश कमांक 1348 दिनांक 05.02.2013 कमांक 3428 दिनांक 18.02.2013 एवं कमांक 3548 दिनांक 01.03.2013 को अतिक्रमण करते हुए एतदद्वारा श्री डी.के. माथुर अति0 मुख्य अभियन्ता को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इनके द्वारा (राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 4 क) में प्रकाशित राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप–2) की अधिसूचना के अन्तर्गत राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग–4 (ग) उपखण्ड–(I) मे जनवरी 2013 को प्रकाशित सामान्य कानूनी नियन वित्त (जी एण्ड टी) की अधिसूचना के नियमों के कर्तव्य एवं सुनिश्चित किये गये दायित्वों की राजस्थान आवासन मण्डल में पालना करायी जायेगी।

विधान के प्रावधान अनुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवासन मण्डल की समस्त आर्थिक गतिविधियां की सूचना/अधिसूचना एवं निविदा के अपलोड करने हेतु श्री डी.के.माथुर अति0 मुख्य अभियन्ता के सहयोग हेतु कम्प्यूटर विशेषज्ञ श्री अनुज माथुर एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, को उप नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री अनुज माथुर का समस्त राज्य लोक उपापन पोर्टल को अपडेट किये जाने का दायित्व होगा।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप–शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग,राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवान मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी एण्ड एम, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी,प्रथम/द्वितीय/तृतीय,चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत.........................राज.आवां. मं,.......................
10. आवासीय अभियंता, खण्ड .... राज.आवां.मं.......................
11. जन सम्पर्क अधिकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. लेखाधिकारी वसूली वृत .... राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईड पर डलवाने व सभीं को मेल करे।
14. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार